सीसीटीएनएस/अतिआवश्यक

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ–226006

पत्रांकःटीएस–सीसीटीएनएस–82/2012 दिनांकःजनवरी 30, 2019

सेवा में,

1. अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र उ0प्र0।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक समस्त जनपद उ0प्र0।
4. समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
5. समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः– **पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी एवं उ0प्र0पुलिस के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों की सेवाओं हेतु लिए जाने वाले विभागीय शुल्क एवं यूजर चार्जेज की ऑन–लाइन प्राप्ति के रियल टाइम भुगतान की असफलता के कारण राजकीय भुगतान सेवा राजकोष पोर्टल** http://rajkosh.up.nic.in **के माध्यम से जमा किए जाने वाले शुल्क को पूर्ववत आफ–लाइन व्यवस्थानुसार देय नियमानुसार भौतिक रूप से कार्यालय में शुल्क को जमा किये जाने के संबंध में।**

कृपया पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी एवं उ0प्र0पुलिस के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों की सेवाओं हेतु लिये जाने वाले विभागीय शुल्क एवं यूजर चार्जेज की आन–लाइन प्राप्ति के लिये रियल टाइम भुगतान की 70 प्रतिशल असफलता व 30 प्रतिशत की सफलता के दृष्टिगत जनमानस को सुविधा प्रदान किये जाने में परेशानी हो रही है।

2. उपरोक्त सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी एवं उ0प्र0पुलिस के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों की सेवाओं हेतु लिए जाने वाले विभागीय शुल्क एवं यूजर चार्जेज की ऑन–लाइन राजकीय भुगतान सेवा राजकोष पोर्टल http://rajkosh.up.nic.in के माध्यम से जमा किए जाने की सुविधा को स्थगित किया जाता है।

3. उपरोक्त प्रयोजन हेतु शासनादेश के अधीन नियमानुसार सुविधा के सापेक्ष जो शुल्क देय है उसे पूर्ववत आफ–लाइन व्यवस्थानुसार भौतिक रूप से संबंधित कार्यालय में ऑन–लाइन आवेदित सेवाओं के सापेक्ष शुल्क को जमा करना सुनिश्चित करें।

4. इस महत्वपूर्ण बिन्दु को आप गंभीरता से लें। उक्त कार्य में शिथिलता न आने पाये इस हेतु जोन/ परिक्षेत्र/ जनपद के पुलिस प्रमुख प्रभारी इस कार्यवाही का नियमित पर्यवेक्षण करते रहेंगे। कार्यालय स्तर पर उपस्थित होने वाले आम जनमानस को विस्तृत रूप से अवगत करा दिया जाए ताकि वह मैनुअल रूप शुल्क विभाग के पक्ष में जमा कर सके और उससे संबंधित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न कर सके।

30/1

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय,
लखनऊ

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ को उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 375/6–पु–15/ 2018–3(15)18 दिनांक 03–01–2019 गृह (पुलिस) अनुभाग–15 के कम में सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. विशेष सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–15 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र संख्या 375/6–पु–15/ 2018–3(15)18 दिनांकः03–01–2019 के कम में।
5. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टाफ आफीसर, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी), उ0प्र0 लखनऊ
7. श्री कृष्ण मुरारी, प्रोग्रामर–ग्रेड–2 उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।